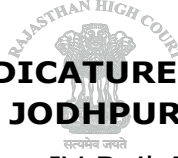




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous IV Bail Application No. 5090/2026

Dalip S/o Kalu Ram, Aged About 28 Years, Resident Of Ward
No.10, Gandheli, Tehsil Rawatsar, District Hanumangarh.

(At Present Lodged In Sub Kail Nohar)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Navneet Poonia
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

05/05/2026

1. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह चतुर्थ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (439 दण्ड प्रक्रिया संहिता), पुलिस थाना रावतसर, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 196/2022, सेशन प्रकरण संख्या 88/2022 विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) (अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 01) नोहर जिला हनुमानगढ़ अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 25 एन.डी. पी.एस. एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस चतुर्थ जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.10.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, काफी अवधि न्यायिक अभिरक्षा की हो गई है और प्रकरण का विचारण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रकरण के विचारण में अभी भी काफी समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त चतुर्थ जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के तृतीय जमानत के आवेदन पत्र में दिनांक 19.01.2026 को विस्तृत



आदेश पारित करते हुए खारिज किया गया है। धारा 37 एनडीपीएस एक्ट की अपवादित परिस्थितियां इस मामले में विद्यमान नहीं होना व प्रार्थी/अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 33 प्लास्टिक थैलों में 6 क्विंटल 55 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद हुआ, जो वाणिज्यिक मात्रा का मामला होना बताते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

6. इस मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5086/2023, Dalip Vs. State of Rajasthan में दिनांक 12.09.2023 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था, जिस आदेश के पैरा संख्या 11 व 12 में निम्नानुसार विवेचन किया गया था :—

“11. जहां तक अभियुक्त दलिप का प्रश्न है, पुलिस अभियोजन की कहानी के मुताबिक जब पुलिस मौके पर पहुंची तो तीन व्यक्ति थे, जिसमें से दो व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली में से व एक लड़का कमरा के अंदर से निकलकर खेतों की तरफ भागने लगे, जिन पर शक होने पर तीनों शख्स को काबू करना चाहा मगर एक लड़का काफी दूरी पर भाग जाने व आंखों से ओझल हो जाने के कारण भागने में सफल हो गया व दो शख्स को काबू कर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम सोनू कुमार व दुसरे ने मुकेश कुमार व तीसरे भागने वाले व्यक्ति का नाम पूछा तो उसका नाम दलीप होना बताया। मौके पर ट्रैक्टर ट्राली व स्वीफ्ट कार खड़ी थी। कार की तलाशी ली तो कार की पीछे की दोनों खिड़की खुली हुई, जिसके पीछे की सीट पर एक के ऊपर एक कुल छः काले रंग के प्लास्टिक थैले बरामद हुए।

12. अनुसंधान में यह पाया गया कि वाहन कार आर.जे. 14 टी.डी. 4202 के रजिस्टर्ड स्वामी शुभम शर्मा पुत्र मनोहर लाल शर्मा ने अपनी कार को जितेन्द्र सिंह राठौड़ के मार्फत आरोपी दलिप कुमार निवासी गन्धेली को दिनांक 30.10.2020 को बेचान कर स्टॉम्प पर लिखा-पढ़ी करवाई। फाईनेंस की किश्तें नहीं भरने पर शुभम शर्मा ने प्रकरण संख्या 139/21 दर्ज करवाया था। अनुसंधान से जब्त सुदा वाहन आर.जे. 14 टी.डी. 4202 का भौतिक स्वामी आरोपी दलिप कुमार होना पाया गया। जो चार्जशीट पेश की गई है, उसमें वाहन के रजिस्टर्ड मालिक शुभम शर्मा को गवाहन की सूची में सम्मिलित किया गया है। जिसने अपने धारा 161 सीआर.पी.सी. के बयान में यह स्पष्ट कहा है कि उसने जितेन्द्र सिंह राठौड़ के मार्फत दलिप निवासी गन्धेली को कार बेचान कर दिया था। कार बेचान बाबत साक्षी ने स्टॉम्प पर लिखा-पढ़ी करवाई थी। साक्षी दलिप निवासी गन्धेली को नहीं जानता था, इसलिए कार बेचान की लिखा-पढ़ी जितेन्द्र सिंह राठौड़ के नाम से करवाई थी। कार दिनांक 30.10.2020 के बाद से दलिप निवासी गन्धेली के पास है। कार के बारे में दलिप निवासी गन्धेली ही बता सकता है। गाड़ी की लिखा-पढ़ी जितेन्द्र सिंह राठौड़ के नाम से दलिप के कहने पर



करवाई थी। उक्त स्थिति में जो अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा न्यायालय से नकल लेने की प्रतिलिपि की प्रति पेश की गई है, उसके आधार पर इस स्टेज पर किसी प्रकार का निष्कर्ष निकाला जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में शुभम शर्मा की साक्ष्य होना अभी शेष होने से और इस मामले के तथ्यों परिस्थितियों में प्रकरण की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बगैर मैं प्रार्थी-अभियुक्त दलिप का जमानत का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।”

7. उक्त आदेश के पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत S.B. Criminal Miscellaneous Second Bail Application No. 5379/2024, Dalip Vs. State of Rajasthan में दिनांक 11.12.2024 को आदेश पारित करते हुए पूर्व के आदेश के पैरा संख्या 11 व 12 का उल्लेख किया गया और विचारण में जो साक्ष्य गवाह पी.डब्ल्यू.02 शुभम शर्मा और अनुसंधान अधिकारी द्वारा बतौर गवाह पी.डब्ल्यू.01 जो साक्ष्य दी गई है, उस पर विचार किया गया और धारा 37 एनडीपीएस एक्ट व माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का विवेचन करते हुए जो इस न्यायालय के द्वारा निरंजन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14776/2023 निर्णय दिनांक 06.03.2024 को पारित किया गया, उसके पैरा संख्या 13 का उल्लेख किया गया और विशिष्ट रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधिपतिगण के निर्णय NCB Vs. Mohit Aggarwal, AIR 2022 SC P 3444 के पैरा संख्या 18, जो निम्नानुसार है, का उल्लेख करते हुए 2.5 वर्ष की अवधि होने मात्र से जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होना नहीं माना गया है और द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भी खारिज किया गया है :-

"18. In our opinion the narrow parameters of bail available under Section 37 of the Act, have not been satisfied in the facts of the instant case. At this stage, it is not safe to conclude that the respondent has successfully demonstrated that there are reasonable grounds to believe that he is not guilty of the offence alleged against him, for him to have been admitted to bail. The length of the period of his custody or the fact that the charge-sheet has been filed and the trial has commenced are by themselves not considerations that can be treated as persuasive grounds for granting relief to the respondent under Section 37 of the NDPS Act."

8. पूर्व में दो मर्तबा विस्तृत आदेश से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने के बावजूद पुनः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से S.B. Criminal Miscellaneous Third



Bail Application No. 12337/2025, Dalip Vs. State of Rajasthan पेश की गई, जिसमें धारा 37 एनडीपीएस एक्ट व माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों व पूर्व के प्रथम जमानत आवेदन पत्र में वर्णित पैरा संख्या 11 व 12 व द्वितीय जमानत आवेदन पत्र में वर्णित पैरा संख्या 9 व 10 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के NCB Vs. Mohit Aggarwal पूर्वाक्त के पैरा संख्या 11, 14, 15 व 18 का उल्लेख करते हुए धारा 37 की अपवादित परिस्थितियां विद्यमान नहीं होना और मौके पर खड़ी कार में 33 प्लास्टिक थैलों में 6 क्विंटल 55 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद होना व कार प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र के नाम से खरीद करना और उसका कब्जा प्रार्थी/अभियुक्त के पास होना और कमरा प्रार्थी/अभियुक्त के दादा के बयान के मुताबिक प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे में होना तफ्तीश में पाए जाने का उल्लेख करते हुए धारा 37 एनडीपीएस एक्ट की अपवादित परिस्थितियां विद्यमान नहीं होना मानते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तृतीय जमानत का आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2026 को खारिज किया गया।

9. अब पुनः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से चतुर्थ जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो धारा 436ए दंड प्रक्रिया संहिता (479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में धारा 37 एनडीपीएस एक्ट व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर विस्तृत विवेचन तृतीय जमानत आवेदन पत्र के निस्तारण के समय किया जा चुका है और पूर्व के तीनों प्रार्थना पत्रों में विधिक स्थिति और प्रकरण के तथ्यों पर प्रथम दृष्ट्या विचार करते हुए धारा 37 एनडीपीएस एक्ट की अपवादित परिस्थितियां विद्यमान होना नहीं पाया गया है। ऐसी अवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय के NCB Vs. Mohit Aggarwal पूर्वाक्त के पैरा संख्या 18 जिसको पूर्व में उल्लेखित किया गया है, में वर्णित विधिक स्थिति के मद्देजर न्यायिक अभिरक्षा की अवधि के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. अतः प्रार्थी/अभियुक्त दलीप की ओर से प्रस्तुत चतुर्थ जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (439 दंड प्रक्रिया संहिता) खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J